प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/ रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कॅडिका 3 का

उपकांडिका 13, 14 तथा कांडिका 4 उपकांडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

- 1. आवेदक का नाम
- 2. आधार / EID no
- 3. मोबाईल नं0-
- 4. आवेदक के पति / पिता का नाम
- 5. पूर्ण आवासीय पता
- 6. विद्यमान राशन कार्ड की सं0-
- 7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0-
- विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण—
 - (क) निवास में परिवर्तन -
 - (ख) जन्म या मृत्यु --
 - (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियाँ -
 - (घ) अन्य कारण -
- 9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी -

क्रo	नाम	पति / पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7
		,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
					:	

पारिवारिक फोटो

आधार / EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय / सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. वि	द्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण / रद्द करने का कारण -
(ক)	ग्रामीण क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवदक
निम्नि	ाखित पर हाँ ∕ नहीं, पर टिक लगावे :-
(i)	मोटर चालित तिपाहिया / चार पहिया वाहन है, हॉ 🔲 नहीं 🔲
(ii)	मशीन चालित तीन / चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉं 🔲 नहीं 🔲
(iii)	सरकार में पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ 🔲 नहीं
(iv)	परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 / — रू० से अधिक है, हॉ 🔲 नहीं 🔲
(v)	आयकर देते है, हॉ 🗀 नहीं 🗀
	व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं, हॉ 🔲 नहीं 🔲
(vii)	जिस मकान में रहते हैं, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक
	कमरा है, हॉ नहीं 🔲 🔲
(viii)	परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ
` '	
(ix)	दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है,
	हाँ नहीं 🔲 🔲
(x)	कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी
•	है, हॉ नहीं 🔲 🔲
(xi)	आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ 🔲 नहीं 🔲
,	अगर है तो उसका विवरण –
	(क) किस सेवा में है –
	(ख) कहाँ पदस्थापित है –
	(ग) कितना मासिक आमदनी है —
(ख)	शहरी क्षेत्र में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक
निम्नी	लेखित पर हाँ / नहीं, पर टिक लगावे :
(i)	भागका अस्य करते है हाँ 🔲 नहीं 🗍
(ii)	आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी
` ,	सेवा (अनुoजाति / अनुo जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं
	अगर 🗀 उसका विवरण —
	(क) किस सेवा में है <i>—</i>
	(ख) कहाँ पदस्थापित है –
	• •

(iii) (iv) (v) (vi)	(ग) कितनी मासिक आमदनी है — व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ नहीं तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं पिरवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/— रू० से अधिक है, हॉ नहीं दो पहिया वाहन, रेफीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ नहीं गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ नहीं
किया	गृहस्था में चारे पहिया वाहन है, हां नहीं गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हाँ नहीं उपरोक्त कंडिका के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण जाय/कंडिका के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने रण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)
दिनांक स्थान	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम
	<u>घोषणा</u>
	/महोदय मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ की आवेदन—पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है । अगर पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक ∕ कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।
दिनांक स्थान	आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान नाम
3	अधिसूचना संख्या—19431 दिनांक—23.12.2013 की शेष प्रविष्टियाँ पूर्वत रहेंगी।
4	समय-समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित

4 समय—समय पर सेवा प्राप्त करने हेतु खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यकतानुसार इससे संबंधित अन्य प्रपत्र विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

>०\

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव

<u>अधिसूचना</u>

संख्या—18/लो०से०अ०—12—01/2016(खण्ड)सा०प्र० िन् ०० / अधिसूचना संख्या—े ०० / दिनांक— ०० ०० ०० ०० विम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,